

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

धारा 107 दं0प्र0सं0

प्रथम पक्ष— झारखण्ड सरकारबगैरह।

ब नाम

वाद सं0 05 / 2022

द्वितीय पक्ष— सोनु साहु बगैरह।

आदेश की क्र० सं० एवं तिथि	<u>दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर</u>	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी
1 28/10/22	उक्त वाद की कार्रवाई थाना पालकोट के अप्रथमिकी सं० 19 / 2022 दिनांक 25 / 04 / 2022 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है प्रथम पक्ष (1) झारखण्ड सरकार की ओर से थाना प्रभारी राहुल शर्मा बनाम द्वितीय पक्ष (1) सोनु साहु उम्र 34 वर्ष पिता परशुराम साहु ग्राम पोजेंगा (2) विशाल केशरी उम्र 23 वर्ष पिता अशोक केशरी (3) राहुल केशरी उम्र 24 वर्ष पिता गोपाल केशरी (4) संतोष केशरी उम्र 32 वर्ष पिता अरबिंद केशरी तीनों ग्राम पालकोट के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2022 में शांति व्यवस्था बनाये रखने को लेकर प्रतिवेदित किया गया है। तदनुसार दं०प्र०सं० की धारा 107 की कार्रवाई नियत तिथि एवं समय में कार्यवाही प्रारम्भ की गई एवं उभय पक्षों को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया। द्वितीय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए :- उक्त वाद की कार्रवाई के दौरान द्वितीय पक्ष के बीच किसी प्रकार से शांति भंग होने संबंधी सूचना थाना प्रभारी बसिया या अन्य स्रोतों से अप्राप्त है। उक्त वाद की समय अवधि समाप्त हो चुकी है। अतः द्वितीय पक्षों के पक्षों उक्त वाद की कार्रवाई के बीच किसी प्रकार की शांति भंग नहीं होने की सूचना अप्राप्त होने एवं वाद की कार्रवाई समाप्त होने के कारण उक्त वाद की कार्रवाई बिना गुण दोष के समाप्त की जाती है। लेखापित । अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया(गुमला)।	